

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर  
बइजलास-श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या-62/2026

GCMS No.- 2026/71

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. श्री सुरेश पुत्र श्री भंवरलाल गवारिया, रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर की दुकान नम्बर 28 नागौर 2. श्री गुलाबराम पुत्र शैतानराम, रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर की दुकान नम्बर 28 नागौर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम  
गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे हैं।

:: निर्णय ::

दिनांक :-08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना-पत्र गैर सायल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेज कर पावती होने के बावजूद उनकी ओर से आज तक कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

  
कलक्टर नागौर



प्रार्थी की प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 17.02.2026 को श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण रोडवेज बस स्टेण्ड परिसर की दुकान नम्बर 28 नागौर पर पहुंचे। मौके पर श्री सुरेश पुत्र भंवरलाल गवारिया उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का दुकानदार होना जाहिर किया। जॉच दल द्वारा दुकान के परिसर की जॉच करने पर दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों से व्यवसायिक/छोटे बिना आईएसआई मार्का सिलेण्डरों में गैस भरने का अवैध कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर वक्त जॉच उक्त दुकान की तलाशी लेने पर मौके पर 2 घरेलू गैस के भरे हुए सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त दुकान के दुकानदार द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये। इस प्रकार दुकानदार का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस के भरे हुए सिलेण्डर जब्त कर श्री गणपत पुत्र श्री खेराजराम प्रतिनिधि मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर को प्रकरण के निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये है।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है एवं न ही प्रकरण का कोई प्रतिरोध पेश किया है। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल सुरेश एवं गुलाबराम स्वयं के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायलान की उपस्थिति में की गई है एवं उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना गैस कनेक्शन के ही घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग/भण्डारण किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7



  
कलक्टर नागौर

के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।


अतः प्रकरण में जब्त सुदा दो निम्न गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है।

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	HPCL	878191	16.6 Kg	15.6 Kg	1.0 Kg
2.	HPCL	391591	21.7 Kg	16.7 Kg	5.0 Kg



निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलेक्टर  
नागौर